

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 163/2021

दिनांक : 11-11-2021

निर्णय:-
आदेश

प्रार्थी श्री...जवाब अली खां.....पुत्र/पुत्री/पत्नी...मोहिनीन खां.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम...खीनासर.....पटवार मण्डल...चूरु.....
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्...2071-74.....के खाता संख्या...168.....में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति...जवाब खां.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सही सम्मानजनक रूप से...जवाब अली खां.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का...खीनासर.....से करवाने पर पटवारी ने...जवाब खां.....के
बजाय जवाब अली खां.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में...जवाब खां.....
के बजाय...जवाब अली खां.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम...खीनासर.....
के खाता संख्या...168.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति...जवाब खां.....
के स्थान पर सही सम्मानजनक रूप से...जवाब अली खां.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



168
11/11/2021

11/11/21
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

